

न्यायालय उप जिलाधिकारी, नव बिगंजूबरेली ॥

वाद सं०: ९३ /2007

धारा 143 जो विं सर्वे भूमि क्षेत्रों अधिक

उमित अग्रवाल आदि

बनाम

सरकार

आराजी स्थित ग्राम लभेडा उर्फ़ बुलन्द नगर
तहसील कवर्गजूब रेली है।

निर्णय : निर्णय वर्णन

प्रस्तुत वाद श्रीमती उर्मिला अग्रवाल पत्नी श्री रकेश कुमार अग्रवाल आदि निः ० ग्रृष्ण मोहल्ला स्कट्ट नगर शहर, बरेली छारा ग्राम लमेड़ा उर्फ बुलन्द नगर, तहसील नवबगंज बरेली ४ में स्थित भूमि खाता सं ० । १४ गार्डा सं ० २९४ रक्षा ० ० ३६८ है० को अकृषिक घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार की आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार ने नायक तहसीलदारकी आख्या जो ज० वि० एवं भूमि व्यवस्था अधि० के नियम १३५ । १४ के अन्तर्गत प्राप्ति पर दी गई है, को अग्रसारित करते हुए अवगत कराया है कि प्रश्नगत आराजी स्थित ग्राम लमेड़ा उर्फ बुलन्दनगर के गार्डा सं ० २९४ के सम्पूर्ण क्षेत्रफल ० ० ३६८ है० पर राज श्री वेयर हाउस के गोदाम, आवास व धर्मकांटा आदि निर्मित हैं, कृषि कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्न-गत भूमि गार्डा सं ० २९४ रक्षा ० ० ३६८ है० को धारा १४३ जेड०ए०एण्ड स्लॉज्हार० स्कट के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

मेरे द्वारा पत्रावलो पर उपलब्ध आमलेखों सर्व तहसीलदार को आख्या का विधिवत अध्ययन किया गया। तहसीलदार को आख्या दिनांक 25-8-2007 के आधार पर प्रश्नगत आराजी को अकृषिक घोषित करने में कोई अपात्त नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम लमेडा उर्फ बुलन्द नगर, परगना व तहसील नवाबगंज़ूबरेली है। मैं स्थिर गाठा सं० 284 के समूर्फ़ क्षेत्रफल ०। ३६८ है। पर राजश्री वेयर हाउस के गोदाम, आवास व धर्मकाँटा अधिक निर्मित हैं, कृषि कार्य नहीं हो रहा है, अकृषिक घोषित किया जाता है। जमी० विनाश अधिं की धारा 145 स्वेच्छाव्यक नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते हैं कि आदेश की दो प्रति उप निवन्धक नवाबगंज को इस ज़िले से भेजी जावें कि वह प्रेस्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त सक प्रति इस न्यायालय को वापिस करें। तदोपरान्त खतौनी मैं प्रविष्ट हेतु पत्तना अमलदरामद जारी किया जाय। बाह्य भारतीय कार्यालयी अपनावली दाखिल दफ्तर हो।

ଦିନାଂକ :

उप जिला धक्का री, नवाबगंज बरेली ।

उक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं द्वारीकृत करके उद्धोषित किया गया।

七

उप गिलाधीरी,
नव बाबगंज-बरेली।



न्यायालय उप जिला अधिकारी, नवाबगंजबरेली।

वाद सं० : ०४/२००७

सरकार

बनाम

धारा ।४३ ज० वि० सर्व भूमि व्यवस्था अधित्र०

उमिला अग्रवाल आदि ग्राम लमेडा
उप्र० बुलन्द नगर तहसील नवाबगंज
बरेली।

लोले निर्णय द्वारा

प्रस्तुत वाद तहसीलदार नवाबगंज की आछाया दिनांक २५-८-२००७ ज० वि० सर्व भूमि व्यवस्था अधित्र० के नियम ।३५॥१॥ के अन्तर्गत प्राप्ति पर दी गई है, के आधार पर वाद पंजीकृत किया गया। तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक की आछाया अग्रसरित करते हुए अवगत कराया है कि प्रश्नगत आराजी स्थित ग्राम लमेडा उप्र० बुलन्दनगर के गाटा सं० २९३ के सम्पूर्ण क्षेत्रफल ०.६१७ हेक्टर पर राजशी वेयर हाउस के गोदाम आदि बने हुए हैं तथा व्यवसायिक सर्व आवासीय उपयोग में आ रही है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत भूमि गाटा सं० २९३/०.६१७ हेक्टर को धारा ।४३ ज० वि० १४३ रुपये १० पैसे ० आरोपण के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभिलेखों का अबलोकन किया गया। तथा तहसीलदार की आछाया का विधिवत् अध्ययन किया। तहसीलदार की आछाया दिनांक २५-८-०७ के आधार पर प्रश्नगत आराजी को अकृषिक घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम लमेडा उप्र० बुलन्द नगर, परगना व तहसील नवाबगंजबरेली॥ के स्थित गाटा सं० २९३ के सम्पूर्ण क्षेत्रफल ०.६१७ हेक्टर पर राजशी वेयर हाउस के गोदाम आदि बने हुए हैं तथा व्यवसायिक सर्व आवासीय उपयोग में आ रही है, अकृषिक घोषित किया जाता है। जमीं० विनाश अधित्र० की धारा ।४५ सर्व तदेविषयक नियमावली के नियम ।३७ के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते हैं कि आदेश की दो प्रति उप निबन्धक नवाबगंज को इस आधाय से भेजी जावे कि वह प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त सक प्रति इस न्यायालय को वापिस करें। तदेवरान्त लिखानी में प्रतिष्ठित हेतु परगना अपलदर प्रमद जारी किया जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली दाखिल करना हो।

दिनांक:

१० अगस्त २००७

उप जिला अधिकारी, नवाबगंजबरेली॥

निर्णय आज खुल न्यायालय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित सर्व दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक:

२२ अगस्त
२००७
दिनकर सदाल देने का
शब्द
टिकट

उप जिला अधिकारी,
नवाबगंज-बरेली।

कार्यवाही उपरान्त नवाबगंज
कार्यवाही उपरान्त नवाबगंज

न्यायालय उप जिलाधिकारी, नवाबगंजबरेली ४।

बाद सं०: ०५/२००७

राजेन्द्र कुमार अग्रवाल आदि

धारा १४३ ज० वि० एवं भू० व्य० अधि०

बनाम सरकार

आराजो स्थित ग्राम लमेडा उप बुलन्दनगर
तहसील नवाबगंजबरेली ४।

निर्णय: १५-१०-०७

प्रस्तुत बाद राजेन्द्र कुमार अग्रवाल आदि निः० सकतानगर शहर बरेली ज़िला
ग्राम लमेडा उप बुलन्दनगर, तहसील नवाबगंजबरेली ४ में स्थित भूमि खाता सं० १७२ के
गाटा सं० २९२ रक्षा १०४। हेठो को अकृषिक घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया
गया, जिस पर तहसीलदार की आछया प्राप्ति की गई। तहसीलदार ने नायब तहसीलदार
की आछया जो ज० वि० एवं भू० व्य० अधि० के नियम १३५॥१॥ के अन्तर्गत प्राप्त पर
दी गई है, फो अग्रसारित करते हुए अवगत कराया है कि प्रश्नगत आराजी स्थित ग्राम
लमेडा उप बुलन्दनगर के गाटा सं० २९२ के कुल क्षेत्र १०४। हेठो में से ०.५०६ हेठो पूर्व में
ही दि० २३-२-०७ को अकृषिक घोषित किया जा चुका है, जेह १.३३५ हेठो पर भी राज-
श्री वेयर दाता के गोदाम निर्मित हो चुके हैं तथा कृषि कार्य नहीं हो रही है। प्रश्नगत
भूमि गाटा सं० २९२ के जेह क्षेत्रफल १.३३५ हेठो को धारा १४३ जेड०४० रुपये १०० कट
के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

मेरे धारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों स्वें तहसीलदार की आछया का विधिवत
अध्ययन किया गया। तहसीलदार की आछया दि० २५-८-०७ के आधार पर प्रश्नगत
आराजी को अकृषिक घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम लमेडा उप बुलन्दनगर, परगना व तहसील नवाबगंजबरेली ४ में स्थित
गाटा सं० २९२ के जेह क्षेत्रफल १.३३५ हेठो पर राजश्री वेयर दाता के गोदाम निर्मित हैं,
कृषि कार्य नहीं हो रहा है अतस्व अकृषिक घोषित किया जाता है। जमी० विनाश अधि०
की धारा १४५ एवं तद्विधयक नियमावली के नियम १३७ के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते
हैं कि आदेश की दो प्रति उप निबन्धक नवाबगंज को इस आशय से भेजी जावे कि वह
प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त सक प्रति इस न्याया-
लय को वापिस करें। तदोपरान्त खतौनी में प्रविष्ट हेतु परवाना अमलदरामद जारी
किया जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:

१५ दिसंबर २००७

उप जिलाधिकारी, नवाबगंजबरेली ४

उक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे धारा दस्ताक्षरित एवं बिनाकित करके

न्यायालय प्रतिलिपि

अभिलेखाचाल (माल) उद्घोषित किया गया।

दिनांक: १५/११

उप जिलाधिकारी,
नवाबगंजबरेली ४।

न्यायालय उप जिलाधिकारी, नबाबगंज बरेली ।

वाद संख्या 6/08-09

अन्तर्गत धारा 143 जैड0ए0एल0आर0एकट

उर्मिला अग्रवाल आदि

बनाम

सरकार

ग्राम लड़ेभा उर्फ बुलन्दनगर पर0तह0 नबाबगंज बरेली ।

रामेश निर्णय दिनांक

श्रीमती उर्मिला अग्रवाल पत्नी श्री राकेश अग्रवाल निवासी एकतानगर बरेली ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर ग्राम लड़ेभा उर्फ बुलन्दनगर के गाटा संख्या 288 रकबा 0.538 व 290 रकबा 0.873, 289 रकबा 0.436 है0 को अकृषक घोषित किये जाने का अनुरोध किया। जिस पर तहसीलदार नबाबगंज बरेली से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार नबाबगंज ने अपनी आख्या में राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 29.1.09 को अग्रसारित किया है। जिसमें अंकित किया गया है कि ग्राम बुलन्दनगर के गाटा संख्या 288 रकबा 0.538 व 290 रकबा 0.873, 289 रकबा 0.436 है0 पर स्थल पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है जिस पर इन्जीनियरिंग कालेज का निर्माण शुरू हो गया है। उक्त गाटा संख्या में कृषि उपयोग में न होने के कारण अकृषक घोषित किये जाने की सांस्कृति की है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों को अवकलोकन किया एव वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना। पूर्ण तथ्यों को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त गाटा पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है और न ही उस पर कृकट पालन आदि का कार्य हो रहा है बल्कि उसपर इन्जीनियरिंग कालेज का निर्माण हो रहा है। अतः उक्त गाटा संख्या को अकृषक घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः तहसीलदार की आख्या से सहमत होते हुये ग्राम लड़ेभा उर्फ बुलन्दनगर पर0तह0 नबाबगंज गाटा संख्या 288 रकबा 0.538 व 290 रकबा 0.873, 289 रकबा 0.436 है0 को अकृषक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति सब रजिस्ट्रार नबाबगंज को भेजी जाये। पत्रावली वाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

दिनांक : 30.1.09

उप जिलाधिकारी
नबाबगंज, बरेली।

राम मार्ग
मन्त्रालय नं. ... ८५२९
दिनांक लेने का ... ३०/१/०९
मात्रम् रुपये पर चक्का ... ८५२९
ह० मात्रम् नवोस ... ८५२९
दिनांक सवाल देने का ... ८५२९
जम्ह अंकुर
टिकट
रामेश

स्वायत्र प्रतिलिपि
अहलमद (मार्ग)
कार्यालय उप-जिलाधिकारी नबाबगंज

